...ालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

प्र0-10 — 106/2024

अनवान : —

1. मुकेश कुमार पुत्र दयाराम जाति जाट निवासी गलखेड़ा त0 भादरा।
2. प्रमिला पुत्री दयाराम जाति जाट निवासी गलखेड़ा त0 भादरा।

वादी

बनाम

1. दयाराम पुत्र हरदयाल जाति जाट निवासी गलखेड़ा त0 भादरां
2. प्रसन्ना पुत्री दयाराम जाति जाट निवासी गलखेड़ा त0 भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व तहसील भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 188राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :— श्री मदनलाल कडवासरा वादी
श्री लीलाधर अग्रवाल प्रतिवादी

निर्णय दिनांक: 30/12/24

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 14 एएमएस के खाता सं0 221/59 के मु0 न0 32 के किला न0 3 ता 8, 11, 12, 13 प्रत्येक किला की 0.253है0 नहरी, किला न0 14/1 की 0.038है0 नहरी, किला न0 20/1 की 0.2405है0 नहरी, किला न0 20/2 की 0.0125है0 गै0 मु0 रास्ता, कुल रकबा 2.5680है0, जिसमें से नहरी 2.5555है0, गै0 मु0 रास्ता 0.0125है0, व रोही मोजा 14 एएमएस के खाता सं0 58/56 के मु0 न0 42 के किला न0 7, 8, 13 प्रत्येक किला की 0.253है0 नहरी कुल रकबा 0.759है0 नहरी खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 दौलतराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि व रिति—रिवाज से शासित है। वाद भूमि वादीगण की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी अपने हिस्से की भूमि को अपने दर्ज करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण आजकल आजकल करने लगे। अतः वादी अपने हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। यह ही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 ने आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया व प्रतिवादी सं0 3 स्टेट की ओर से जवाब पेश किया गया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। [illegible] वकील वादीगण ने निवेदन किया वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी का [illegible] में हक हिस्सा निहित है अतः मुताबिक राजीनामा वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन है। जिस पर वकील [illegible]गण ने भी सहमती प्रकट की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.01.31 11:20:50 IST
Reason: SelfAttested

Kalpit
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

Scanned with OKEN Scanner

मेरे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा चक 14 एएमएस के खाता सं0 221/59 के मु0 न0 32 के किला न0 3 ता 8, 11, 12, 13 प्रत्येक किला की 0.253है0 नहरी, किला न0 14/1 की 0.038है0 नहरी, किला न0 20/1 की 0.2405है0 नहरी, किला न0 20/2 की 0.0125है0 गै0 मु0 रास्ता, कुल रकबा 2.5680है0, जिसमें से नहरी 2.5555है0, गै0 मु0 रास्ता 0.0125है0, व रोही मोजा 14 एएमएस के खाता सं0 58/56 के मु0 न0 42 के किला न0 7, 8, 13 प्रत्येक किला की 0.253है0 नहरी कुल रकबा 0.759है0 नहरी खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 दौलतराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में अपने हकों की घोषणा चाही है। प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें वादीगण के साथ-साथ प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी सं0 1 के वादीगण व प्रतिवादी सं0 2 के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचानुसार वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 14 एएमएस के खाता सं0 221/59 के मु0 न0 32 के किला न0 3 ता 8, 11, 12, 13 प्रत्येक किला की 0.253है0 नहरी, किला न0 14/1 की 0.038है0 नहरी, किला न0 20/1 की 0.2405है0 नहरी, किला न0 20/2 की 0.0125है0 गै0 मु0 रास्ता, कुल रकबा 2.5680है0, जिसमें से नहरी 2.5555है0, गै0 मु0 रास्ता 0.0125है0, व रोही मोजा 14 एएमएस के खाता सं0 58/56 के मु0 न0 42 के किला न0 7, 8, 13 प्रत्येक किला की 0.253है0 नहरी कुल रकबा 0.759है0 नहरी खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 दौलतराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 दयाराम अकेले के बजाए वादी सं0 1 मुकेश कुमार व वादी सं0 2 प्रमिला व प्रतिवादी सं0 1 दयाराम व 2 प्रसन्ना को बराबर-बराबर हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30/12/24 को मेरे द्वारा लिखवाया आकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा/जिला-हनुमानगढ़

(कल्पित शिवरान)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
सहायक कलेक्टर (राजस्व) R.A.S
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.01.31 11:20:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस

मि0न0 – 106/2024

अनवान : –

1. मुकेश कुमार पुत्र दयाराम जाति जाट निवासी मलखेडा त0 भादरा।
2. प्रमिला पुत्री दयाराम जाति जाट निवासी मलखेडा त0 भादरा।

वादी

बनाम

1. दयाराम पुत्र हरदयाल जाति जाट निवासी मलखेडा त0 भादरां
2. प्रसन्ना पुत्री दयाराम जाति जाट निवासी मलखेडा त0 भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व तहसील भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ कल्पित शिवरान उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मदनलाल कडवासरा व वकील प्रतिवादीगण श्री लीलाधर अग्रवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 14 एएमएस के खाता सं0 221/59 के मु0 न0 32 के किला न0 3 ता 8, 11, 12, 13 प्रत्येक किला की 0.253है0 नहरी, किला न0 14/1 की 0.0330है0 नहरी, किला न0 20/1 की 0.2405है0 नहरी, किला न0 20/2 की 0.0125है0 गै0 मु0 रास्ता कुल रकबा 2.5680है0, जिसमें से नहरी 2.5555है0, गै0 मु0 रास्ता 0.0125है0, व रोही [illegible] के खाता सं0 58/56 के मु0 न0 42 के किला न0 7, 8, 13 प्रत्येक किला की [illegible]530है0 नहरी कुल रकबा 0.759है0 नहरी खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 दौलतराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 दयाराम अकेले के बजाए वादी सं0 1 मुकेश कुमार व वादी सं0 2 प्रमिला व प्रतिवादी सं0 1 दयाराम व 2 प्रसन्ना को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30/12/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा/जिला-हनुमानगढ़

(कल्पित शिवरान)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व), R.A.S
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.01.31 11:20:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner